RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ७] शुक्रवार, मार्च २०, २०१५/फाल्गुन २९, शके १९३६ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २० मार्च २०१५ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. X OF 2015.

A BILL
TO AMEND THE MAHARASHTRA FIRE PREVENTION AND LIFE SAFETY MEASURES ACT, 2006.

विधानसभा का विधेयक क्र. १०, सन् २०१५ ।

महाराष्ट्र अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, २००६ में संशोधन संबंधी विधेयक ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लियें, महाराष्ट्र अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, २००६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा निम्न अधिनियम बनाया जाता है, अर्थात् :—

सन् २००७ का महा. ३ ।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपाय (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए । संक्षिप्त नाम ।

सन् २००७ का महा. ३ की धारा ३ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, २००६ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३ में ;— सन् २००७ का महा. ३ ।

(क) उप-धारा (१) के, स्पष्टिकरण में, " भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, २००५ " शब्दों तथा अंको के पश्चात्, ",या यथास्थिति, राष्ट्रीय अग्नि रोकथाम संघ संस्था (यू.एस.ए.) द्वारा समय-समय से, अधिकथित प्राचल ", शब्द, कोष्टक तथा अंक निविष्ट किये जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (१) के पश्चात् निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (१क) उप-धारा (१) या इस अधिनियम की किसी अन्य उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किन्ही अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उंचाई में ३० मीटर से उपर परंतु ४५ मीटर से अधिक उंचाई न होनेवाले भवनों को अनुसूची-एक में (ग-१) विनिर्दिष्ट अधिभोग के मामले में अर्थात् अस्पताल, आरोग्य निवास और उपचर्या गृह, यदि ऐसे भवन अनुसूची एक में अग्निशमन बिठाने की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ण करते हो तो, अनुमती दी जा सकेगी । " ;

(ग) उप-धारा (२) के पश्चात् निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

(२क) उप-धारा (२) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, योजना प्राधीकरण के अनुरोध पर किसी भवन या भवनों के भाग के संनिर्माण योजना की मंजूरी के लिए और उसके पूरा होने या उसके भाग का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सशक्त किये गये प्राधिकारी को अनुसूची एक (ग-१) में विनिर्दिष्ट अधिभोग के मामले में ४५ मीटर से अधिक उँचाई वाले भवन के संबंध में अर्थात् अस्पताल, आरोग्य निवास और उपचर्या गृह, यदि ऐसे भवन विनिदिष्ट अनुसूची-एक में अग्निशमन बिठाने की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ण करते हो तो, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति होगी । ".

सन् २००७ का महा. ३ की अनुसूची १ में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की अनुसूची-एक में,—

(क) " **संस्थागत भवन (ग)** " शीर्षक के अधीन, उपशीर्षक " (क) अस्पताल, आरोग्य निवास और उपचर्या गृह (ग-१) " के अधीन, प्रविष्टि (३) के पश्चात्, निम्न प्रविष्टियाँ जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :—

" **४.** ३० मीटर से ऊपर और ४५ मीटर से अनधिक उँचाईवाले	आवश्यक	आवश्यक	अनावश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	१,५०,०००	३०,०००	२,४००	अनावश्यक
५. ४५ मीटर से ऊपर की उँचाई में	आवश्यक	आवश्यक	अनावश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	आवश्यक	४५ मीटर से अधिक प्रति ५ मीटर १,५०,००० + ५०००	४५ मीटर से अधिक प्रति ५ मीटर ३०,००० + ५०००	४५ मीटर से अधिक प्रति ५ मीटर २,४०० + १०००	अनावश्यक. "

(ख) टिप्पणी में,—

(एक) टिप्पणी १२ में, " समूह ग " शब्द और अक्षर के स्थान में, " समूह ग-२, समूह ग-३ " शब्द, अक्षर और अंक जोड़े जायेंगे ;

(दो) टिप्पणी १२ के पश्चात्, निम्न टिप्पणियाँ निविष्ट की जायेंगी, अर्थात् :—

" **१२क.** ३० मीटर से ऊपर किंतु ४५ मीटर से अनाधिक उँचाईवाले भवन को उसके अनुपालन में उपबंधित अधिभोगियों के लिये समूह ग-१ या ऐसी अधिभोगिताओं के

संबंध में, राष्ट्रीय अग्नि रोकथाम संघ संस्था (यु.एस.ए.) द्वारा, समय-समय से, अधिकथित प्राचलों के आनुरुप्य में अनुमति दी जा सकेगी ।

१२ख. ४५ मीटर से ऊपर उँचाईवाले भवन, समूह ग-१ अधिभोगियों के लिये, धारा ३ की उप-धारा (२क) द्वारा उपबंधित रीत्या, इसके अनुपालन में उपबंधित या ऐसी अधिभोगिताओं के संबंध में, राष्ट्रीय अग्नि रोकथाम संघ संस्था (यु.एस.ए.) द्वारा, समय-समय से, अधिकथित प्राचलों के आनुरुप्य में, अनुमति दी जा सकेगी ।"।

४. मूल अधिनियम की अनुसूची दो में,— सन् २००७ का महा. ३ की अनुसूची २ में संशोधन ।

(क) **भाग-एक** में "**संस्थागत भवन** (ग)" शीर्षक के अधीन, "अस्पताल, आरोग्य निवास और उपचर्या गृह (ग-१)" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि (३) के पश्चात्, निम्न प्रविष्टियाँ निविष्ट की जायेंगी, अर्थात् :

"(४)	३० मीटर से ऊपर तथा ४५ मीटर की ऊँचाई से अनधिक	२०.००	१,५०,०००	१५.००	१,००,०००	१२.००	७५,०००	६.००	३०,०००	५.००	१५,०००
(५)	४५ मीटर से ऊपर की ऊँचाई में	२५.००	२,००,०००	१८.००	१,२०,०००	१५.००	९०,०००	७.००	४०,०००	६.००	२०,०००";

(ख) **भाग-दो में**, "**संस्थागत भवन** (ग) शीर्षक के अधीन, "अस्पताल, आरोग्य निवास और उपचर्या गृह (ग-१)" उप-शीर्षक (क) के अधीन, प्रविष्टि (३) के पश्चात्, निम्न प्रविष्टियाँ निविष्ट की जायेंगी, अर्थात् :—

"**(४)**	३० मीटर से अधिक और ४५ मीटर से अनाधिक उँचाईवाले भवन	१०.००	५०,०००.००	अनुमती नहीं	अनुमति नहीं	अनुमती नहीं
(५)	४५ मीटर से अधिक उँचाईवाले भवन	१५.००	७५,०००.००	अनुमती नहीं	अनुमति नहीं	अनुमती नहीं";

(ग) भाग-तीन में, "**संस्थागत भवन** (ग)" शीर्ष के अधीन, "अस्पताल, आरोग्य निवास और उपचर्या गृह (ग-१) उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि (३) के पश्चात्, निम्न प्रविष्टियाँ, निविष्ट की जायेंगी, अर्थात् :—

"**(४)**	३० मीटर से अधिक और ४५ मीटर से अनाधिक उँचाईवाले भवन	१७.००	१,५०,०००	१४.००	८०,०००
(५)	४५ मीटर से अधिक उँचाईवाले भवन	२०.००	२,००,०००	१६.००	१,००,०००" ।। "

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, २००६ (सन् २००७ का महा. ३) की धारा ३ और अनुसूची एक और दो में प्राप्त उपबंधों के अनुसार, अधिभोगित भवन या भवनों के भाग के संबंध में अस्पतालों, आरोग्य निवास और उपचर्या गृहों की उँचाई ३० मीटर संनिर्मित है । भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, २००५ में प्राप्त उपबंधों को ध्यान में रखकर, उक्त उपबंध सम्मिलित किए गए हैं । यह देखा गया है कि, सरकार स्थानिय निकाय तथा लोक न्यास आदि, से संबंधित अस्पतालों के विकास या पुनर्विकास कराने के लिये इस ऊँचाई के प्रतिबंध को रखा गया है । यह भी देखा गया है कि, ऊँचाई पर के ऐसे निर्बन्धनों के कारण माँग की अनिवार्यता के ज़रिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है ।

२. भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, २००५ के उपबंधों के स्वरुप को ध्यान में रखकर, जो सिफारिशें की हैं और समय-समय से अधिकथित की गई अग्निसुरक्षा और अग्नि रोकथाम सन्नियमों के समतुल्य या उच्च मानकों के पूर्व शर्तों पर कड़ाई से अनुपालन किया गया है, जिससे, सरकार यह उपबंध करना इष्टकर समझती है कि, भवन या भवनों के भाग की ऊँचाई, जो अस्पतालों, आरोग्य निवास और उपचर्या गृहों के रुप में अधिभोगित है वह ४५ मीटर से ऊपर की ऊँचाई में भवन के संनिर्माण की अनुमति के लिये प्राधिकरण को अनुमति देने के लिए नियोजन प्राधिकरण द्वारा किये गए अनुरोध पर, राज्य सरकार की अधिकतर शक्ति से ४५ मीटर तक विस्तारित की जा सकेगी ।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है ।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद)
स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

मुंबई,
दिनांकित १६ मार्च, २०१५.

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २० मार्च, २०१५।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.